आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :धामपुर
वाद सख्या :-00637/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201913160300637
सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट ट्रस्टी शिखा सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

नकल **निर्णय** दि0 30-1-19

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट स्थित कालागढ़ रोड़ निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर द्वारा ट्रस्टी डा0 शिखा सिंह पत्नी डा0 नवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी कालागढ़ रोड़ निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र दिनांक 19—10—16 के आधार पर प्रारम्भ हुई। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर के खसरा नं0 17/1 रकबई 1.898है0 के 1/2 भाग की प्रार्थीनी काबित काश्त है। जिसके बकदर भाग 0.421है0 कोई कृषि कार्य जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

तहसीलदार धामपुर की आख्या दिनांक 21.04.17 पर इस न्यायालय द्वारा पुनः जाँच स्पष्ट जाँच हेतु पत्रावली तहसीलदार धामपुर को प्रेषित की गई। तहसीलदार धामपुर द्वारा अपनी पुनः जाँच दिनांक 10—01—19 इस न्यायालय को प्रेषित। तहसीलदार धामपुर की आख्या में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1421—1426फ0 के खाता सं0 185 गाटा सं0 17/1 रकबई 1.898है0 भूमि पर प्रार्थीनी सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट स्थित कालागढ़ रोड़ निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर द्वारा ट्रस्टी डा0 शिखा सिंह पत्नी डा0 नवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी कालागढ़ रोड़ निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है। प्रार्थीनी द्वारा बैनामें से 1/2 भाग यानि 0.949हे0 भूमि पंजीकृत बैनामें द्वारा क्रय की गई है जिसमें प्रार्थीनी द्वारा 0.421हे0 अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त गाटा सं0 17/01 रकबई 0.421हे0 भूमि कृषि कार्य जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही किया जा रहा है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नहीं कर रहे हो उनके लिए 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। इसलिये वर्तमान रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 26,00,000/—रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत(0.421है0×26,00,000)=1094,600रू0 है जिसका 1 प्रतिशत 10946रू0 तथा 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क 10946/—रू0 देय होता है। तहसीलदार धामपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अन्त में प्रश्नगत भूमि को राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शुल्क लिये जाने के उपरान्त अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गई है।

मेरे द्वारा तहसीलदार धामपुर की प्रेषित रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट दिनांक 10—01—19 के अनुसार ग्राम पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष

(क्रमशः पेज नं0 2 पर)

Scanned by CamScanner

(2)

1421—1426फ0 के खाता सं0 185 गाटा सं0 17/1 रकबई 1.898हे0 भूमि पर प्रार्थीनी सर्वोदय जन कल्याण चैरिटेबिल ट्रस्ट स्थित कालागढ़ रोड़ निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर द्वारा ट्रस्टी डा0 शिखा सिंह पत्नी डा0 नवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी कालागढ़ रोड़ निकट पुराना टेलीफोन एक्सचेंज धामपुर, तहसील धामपुर जिला बिजनौर का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है। तहसीलदार धामपुर की आख्यानुसार प्रश्नगत गाटा सं0 17/1 रकबई 0.421हे0 भूमि पर कृषि कार्य जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नही किया जा रहा है जिसके साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ संलग्न है। प्रश्नगत भूमि धारा—77 उ0प्र0राज0संहिता 2006 के अन्तर्गत नही आती है तथा अविवादित है। राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत ऐसे खातेदार जो स्वयं के आवासीय प्रयोजन में उपयोग नही कर रहे हो उनके 1 प्रतिशत शुल्क अधिरोपित करने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त प्रस्तावित भूमि राज्य मार्ग पर स्थित नही है और न ही अधिग्रहण से प्रभावित हो रही है। वर्तमान रेट लिस्ट के अनुसार सरकारी रेट 26,00,000/—रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से उक्त भूमि की मालियत 10,94,600/— आती है जिसका 1 प्रतिशत 10946/— रू0 दिनांक 16—05—2017 को जमा किया गया है तथा एक प्रतिशत स्टाम्प कोर्ट फीस भी पत्रावली पर संलग्न है। सहखातेदारों द्वारा भी अपना सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता—2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित होगा।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम पीपलसाना परगना व तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष 1421—1426फ0 के खाता सं0 185 गाटा सं0 17/1 रकबई 1.898हे0 के अपने 1/2 भाग में से 0.421हे0 लगान 10.25 रू0 को उ0प्र0 राजस्व संहिता—2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाये कि उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कालम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धामपुर को इस आशय से भेजी जायें कि इसे अभिलेखों में निःशुल्क पंजीकृत कराये। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर अकृषिक घोषित भाग को चिन्हित करते हुये नजरी नक्शे में पृथक—पृथक रंगों से आख्या भेजेगें। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जायें।

दिनांकः—30/01/2019

(कुँवर वीरेन्द्र मौर्य)
परगनाधिकारी,धामपुर

Scanned by CamScanner